बीआरकेजीबी आवधिक जमा योजना

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
1.	योजना का नाम	**बीआरकेजीबी आवधिक जमा योजना** **BRKGB TERM DEPOSIT SCHEME**
2.	सावधि जमा एवं अल्पावधि जमा – परिभाषा	''आवधिक जमा राशि'' एक ऐसी जमा राशि है जो मांग पर प्रतिदेय नही है अर्थात जो किसी नियत तारीख को या सूचना की अवधि के बाद प्रतिदेय है। मियादी जमा एक ऐसी आवधिक जमा राशि है जो निर्धारित अवधि के लिये होती है एवं उक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद आहरण योग्य होती है। बारह माह या अधिक अवधि की जमा राशियों को सावधि जमा राशियां (Term Deposit) कहा जाता है। बारह महीनों से कम अवधि की जमा राशियों को अल्पावधि जमा (Short Term Deposit) राशियां कहा जाता है।
3.	सामान्य शर्तो का स्पष्टीकरण	आवधिक जमा बैंक द्वारा जमाकर्ता के साथ की गयी एक संविदा है जिसे वह जमाकर्ता को एक निर्धारित की जा सकने वाली भावी तारीख को जमा की गयी राशि और उस पर उपचित ब्याज के साथ चुकाने के लिए करता है। प्रत्येक आवधिक जमा एक अलग संविदा है और एक ही जमाकर्ता के नाम मे या उसी परिवार के सदस्यों के नामों में विभिन्न जमा राशियों को एक ही जमा के रूप मे नहीं समझा जाना चाहिए। आवधिक जमा रसीद पराक्रम्य लिखत नही है और इसीलिये उसे जमाकर्ता द्वारा किसी अन्य के पक्ष में परांकित करके अन्तरित नहीं किया जा सकता।
4.	सावधि जमा खातों के प्रकार	1. साधारण सावधि जमा खाता : इन खातों पर मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक अन्तराल पर ब्याज भुगतान किया जाता है। 2. नियमित आय एवं आवर्ती जमा योजना (RIRD) : इस योजना के अन्तर्गत सावधि जमा राशि के ब्याज पर ब्याज की गणना की जाती है ओर देय तिथि को मूल राशि एवं ब्याज का भुगतान किया जाता है। देय तिथि से पहले ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।
5.	आवधिक जमा खातों की अवधि	आवधिक जमा की न्यूनतम अवधि 12 माह होगी। बैंक 120 महीनों से अधिक की अवधि के लिये सावधि जमा स्वीकार नही करेगा। विशेष मामलों में, जहां न्यायालय के निर्देशों के अधीन नाबालिग का हित निहित है, 120 माह से अधिक की जमायें भी स्वीकार की जा सकती है परन्तु ऐसी स्थिति में आवधिक जमा रसीद इस टिप्पणी के साथ 120 माह हेतु जारी की जाएगी कि परिपक्वता पर, जमाराशि को शेष अवधि के लिये, परिपक्वता तिथि हेतु लागू ब्याज दर पर नवीनीकृत की जाएगी।
6.	अल्पावधि जमा खातों की अवधि	उक्त जमाएं न्यूनतम 7 दिन व उससे अधिक अवधि स्वीकार की जाएगी किंतु ऐसी जमाओं की अधिकतम अवधि 12 माह से कम होगी।
7.	न्यूनतम राशि	आवधिक जमा हेतु न्यूनतम स्वीकार्य राशि ₹ 1000/– होगी।
8.	केवाईसी मानदण्डों एवं आयकर नियमों की पालना	खाताधारक से आवधिक जमा प्राप्त करते समय केवाईसी मानदण्डों एवं आयकर नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
9.	ब्याज दर	बैंक द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार ब्याज दर लागू होगी। i) वरिष्ठ नागरिकों को सभी सावधि जमाओं पर प्रचलित ब्याज से 0.50% अतिरिक्त अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशानुसार ब्याज दर प्रदान की जायेगी जिसके लिये निम्न बातों को ध्यान में रखा जाएगा :– **पात्रता मानदंडः** a. उक्त योजना के अधीन लाभ पाने के लिये उस व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना जायेगा जिसने 60 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है। b. वरिष्ठ नागरिकों की सभी आवधिक जमाओं पर अतिरिक्त ब्याज का लाभ दिया जाएगा। c. संयुक्त जमाकर्ता के मामले में प्रथम जमाकर्ता वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए। d. वरिष्ठ नागरिक हेतु देय अतिरिक्त ब्याज लाभ के लिए उम्र की पुष्टि हेतु बैंक को स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। ii) स्टाफ सदस्यों को, इस आशय की घोषणा पर, कि उक्त आवधिक जमा की राशि स्वयं की बचत है, 1.00 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया जाएगा। iii) ऐसे सेवा निवृत स्टाफ सदस्य, जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं, उन्हें सामान्य ब्याज दर से 1.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
10.	परिचालनात्मक अनुदेश	आवधिक जमा खाते संयुक्त रूप से, प्रथम या उत्तर जीवी (Either or Survivor) में से किसी भी एक जमाकर्ता को देय अनुदेशों के साथ खोला जा सकता है। इसे "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी", या "पूर्ववर्ती, उत्तरजीवी संयुक्त रूप से या अंतिम उत्तरजीवी" अथवा "परवर्ती या उत्तरजीवी" (Latter or Survivor) के अनुदेशों के साथ भी खोला जा सकता है।
11.	जमाकर्ताओं से फोटो प्राप्त करना	भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर सभी मामलों में जमाकर्ताओं के फोटो अवश्य प्राप्त किये जाएंगेः– जमाकर्ता जिनका अन्य खाता, जैसे बचत/चालू खाता है, ऐसे मामले में बचत बैंक चैक बुक सुविधा सहित या चालू खाता खोलते समय फोटो का एक सेट पहले लिया जा चुका हो।
12.	नामांकन सुविधा	सभी प्रकार के आवधिक जमा खातों में नामांकन सुविधा उपलब्ध होगी। नामांकन केवल एक व्यक्ति के नाम से ही किया जा सकेगा।
13.	निरक्षर व्यक्तियों के आवधिक जमा खाते	निरक्षर व्यक्तियों के आवधिक जमा खाते निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसके एकल नाम या निकट के रिश्तेदारों के संयुक्त नाम से खोले जा सकते हैं।
14.	विकलांग व्यक्तियों के आवधिक जमा खाते	दोनो हाथों को खो चुकने वाले व्यक्तियों की ओर से उनके आवधिक जमा खाते के आवेदनों को शाखायें स्वीकार कर सकती हैं। ऐसे मामलों में खाताधारक के पैर के दायें या बांये अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा।
15.	नाबालिग के जमा खाते	i) 10 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के आवधिक जमा खाते उनके नैसर्गिक अभिभावकों के साथ संयुक्त रूप से खोले जा सकते हैं। ii) नाबालिग द्वारा उसके अपने एकल नाम से आवधिक जमा खाता खोला जा सकता है इस संबंध में नियम निम्नानुसार है – a. नाबालिग की उम्र 10 वर्ष हो एवं वह पढ़ने/लिखने में सक्षम हो। b. ऐसे खाते में अधिकतम ₹ 100000/– तक की राशि स्वीकार की जा सकती है तथापि 14 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग के लिये जमा राशि स्वीकार करने की कोई अधिकतम सीमा नही है। c. नाबालिगों को जारी की गयी आवधिक जमा रसीदों के पूर्व भुगतान की अनुमति उनके बालिग होने पर दी जाएगी।
16.	जमा राशियों का स्वतः नवीनीकरण	i. अन्यथा अनुदेश प्राप्त न होने पर, आवधिक जमा खाते का परिपक्वता तिथि पर 1 वर्ष के लिए, परिपक्वता की तारीख पर लागू ब्याज दर से स्वतः नवीनीकृत की जाएगी। ii. अन्यथा अनुदेश न दिये गये हो तो, एक वर्ष से कम अवधि के लिए जारी आवधिक जमा राशि के मामले में, संबंधित अवधिपूर्ण जमा राशि, नियत तारीख को ही, उतनी ही अवधि के लिए, नियत तारीख पर लागू ब्याज दर से, स्वतः नवीनीकृत की जाएगी। iii. जब जमाकर्ता बाद की तारीख में (अर्थात ऐसे स्वतः नवीनीकरण के बाद) लंबी परिपक्वता अवधि हेतु अनुरोध करता है, तो बिना दंड लगाये, उपरोक्तानुसार समय पूर्व भुगतान किया जाना चाहिये और अनुरोध के अनुसार नयी सावधि जमा जारी की जाएगी।
17.	जमा राशियों का समय पूर्व भुगतान	i. ऐसे मामलों को छोडकर जहां शाखा जमा राशियों के पूर्व भुगतान के लिए जमाकर्ताओं द्वारा दिये गये कारणों के औचित्य से संतुष्ट होतीं है, सामान्यतया नियत तारीख से पूर्व आवधिक जमा राशियों का भुगतान नही किया जाना चाहिए। ii. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रसीद का उन्मोचन किया गया है और पूर्व भुगतान के अनुरोध पत्र पर सभी जमाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। iii. जमा राशि की देय तारीख से पूर्व मृतक जमाकर्ता के नामिति को भुगतान करना सम्भव है। नियत तारीख के पूर्व भुगतान जमाकर्ता के अधिकारों के अन्तर्गत आता है। अतः नामिति को भी परिपक्वता पूर्व भुगतान प्राप्त करने का वही अधिकार प्राप्त है।
18.	पूर्व भुगतान पर लागू ब्याज दर	i. बैंक में जमा राशि जिस अवधि के लिए रही है उस अवधि हेतु लागू ब्याज दर से 1 प्रतिशत कम दर लागू होगी। ii. मृत जमाकर्ता के खातों में दावों के निपटान के लिए उक्त 1 प्रतिशत दंड से छूट होगी। iii. पूर्व भुगतान वाली आवधिक जमा राशि बैंक में फिर से उस अवधि के लिये आवधिक जमा के रूप मे रखी जाती है, जो मूल करार की शेष अवधि से कम नही है तो एक प्रतिशत दंड से छूट होगी।

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
19.	बैंक अवकाश के दिन देय होने वाली जमा रसीदें	यदि कोई आवधिक जमा अवकाश या गैर कारोबार दिवस पर देय होती है तो इस बीच में आने वाले अवकाश/गैर कारोबार दिवस के ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
20.	प्रदत्त ब्याज का प्रमाण पत्रः	शाखाओं द्वारा खाताधारक के अनुरोध पर उनके विभिन्न जमा खातों पर अदा किये गये ब्याज का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस हेतु प्रति प्रमाण पत्र निर्धारित दर से प्रभार वसूल किया जाएगा।
21.	सावधि जमा के पेटे अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट	शाखा प्रबन्धक अपनी ऋण वितरण हेतु विवेकाधीन शक्तियों के तहत जमा रसीद पर 10 प्रतिशत का मार्जिन रखते हुए उसी शाखा में स्थित/जारी बैंक की सावधि जमा के पेटे अग्रिम/ओवरड्राफ्ट मंजूर कर सकते हैं। केवल नाबालिगों के पक्ष में जारी आवधिक जमा रसीदों के पेटे उनके नाबालिग रहने की अवधि में कोई ओवरड्राफ्ट/ऋण सुविधा नही दी जानी चाहिये। इसी प्रकार, ऐसी आवधिक जमा रसीदों को किसी तीसरे पक्षकार को दी जाने वाली अग्रिम सुविधा हेतु प्रतिभूति के रूप मे नही लिया जाना चाहिए। तथापि, अभिभावकों के साथ नाबालिगों के नाम संयुक्त जमा रसीदों के पेटे ऋण दिया जा सकता है बशर्ते अग्रिम राशि ₹ 10000/– से अधिक नही हो। इसके लिए विधिवत स्टाम्पित वचन पत्र प्राप्त किया जाये। ₹ 10000/– से अधिक के अग्रिम क्षेत्रीय प्रबन्धक की पूर्वानुमति से किये जा सकते हैं। सावधि जमा रसीद के पेटे ऋण पर बैंक में समय–समय पर लागू ब्याज दर प्रभारित की जाएगी।
22.	आवधिक जमा रसीदों में नाम जोड़ना या हटाना	सभी जमाकर्ताओं से उनके निकट सम्बन्धी/मित्रों का नाम जोडने या मौजूदा जमाकर्ताऔ में से किसी एक नाम हटाये जाने सम्बन्धी अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर, बैंक नियमानुसार नाम जोड़ा/हटाया जा सकता है। ऐसे प्रत्येक अवसर पर निर्धारित प्रभार वसूल किया जाएगा। किसी जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उसका नाम हटाने का लिखित अनुरोध पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त करना चाहिए।
23.	आवधिक जमा खाते को अन्य शाखा में अंतरित करना	जमाकर्ता द्वारा अनुरोध करने पर आवधिक जमा राशियों के परिपक्व होने पर एक शाखा से दूसरी शाखा में बिना किसी प्रभार के अन्तरित की जा सकती है। बशर्ते ये जमा राशियां दूसरी शाखा मे पुनः नवीकृत की जाने वाली हो। जमाकर्ता द्वारा अनुरोध करने पर परिपक्वता से पहले ही आवधिक जमा राशियां दूसरी शाखा में अंतरित की जा सकती है। इस प्रयोजन हेतु बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
24.	आवधिक जमा राशियों पर ब्याज के भुगतान से स्त्रोत पर आयकर की कटौती	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 ए के प्रावधान के अनुसार आवधिक जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान से स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी। नियमानुसार कर कटौती खाते में ब्याज जमा करते समय या जमाकर्ता को भुगतान करते समय जो भी पहले हो की जाएगी। इस संबंध में प्रधान कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी विस्तृत दिशानिर्देश की पालना सुनिश्चित की जाएगी।